<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 270/2010

याचिकाकर्ता **तेजनाथ सिंह**

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश की घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें। दिनाँक: 08-11-2010

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति)

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 270/2010

याचिकाकर्ता **तेजनाथ सिंह**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

याचिकाकर्ता की ओर से- डॉ. राजेश पांडेय, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से- श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन

प्रस्तुत रिट याचिका

आदेश

(दिनांक 08.11.2010)

1. याचिकाकर्ता, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, ने दिनांक 11.01.2010 को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन की विनियम 270 के अधीन स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षणीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश (अनुलग्नक पी-1) जिसके द्वारा दिनांक 20.11.2009 को पारित आदेश को संशोधित करते हुए याचिकाकर्ता को एक वर्ष के लिए उप निरीक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदावनत करने का दंड अधिरोपित किया गया, की वैधता, विधिकता एवं औचित्यता को चुनौती दी है। यह एक ऐसा विशिष्ट मामला है, जिसमें पुनरीक्षण

प्राधिकारी – उत्तरवादी क्रमांक 2 ने, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त अधिनिर्णीत दंड के विरुद्ध विनियमन की विनियम 263 के अधीन प्रस्तुत विधिक अपील के लंबित रहने के दौरान, अपील का निर्णय आने की प्रतीक्षा किए बिना तथा विनियम 270 की उप विनियम 4 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए, छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन की विनियम 270(1) के अधीन स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षणीय अधिकार का प्रयोग करते हुए, उस अधिनिर्णीत दंड को परिवर्धित कर दिया जो याचिकाकर्ता को पहले दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सुसंगत समयावधि में याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे तथा पुलिस थाना पटना, बैकुंठपुर, जिला कोरिया में पदस्थ थे। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह था कि दिनांक 28.01.2007 को गुलाब सिंह नामक व्यक्ति अपने पुत्र सुरेन्द्र सिंह के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने उक्त थाना आया था, क्योंकि उसके पुत्र सुरेन्द्र सिंह को पूनम सिंह, कल्याण सिंह एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, परंतु याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में दिनांक 28.04.2007 को एक शिकायत प्राप्त होने पर (अनुलग्नक पी-2), याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.07.2007 को उत्तर/जवाब (अनुलग्नक पी-3) प्रस्तुत करते हुए सभी आरोपों से इनकार किया। तथापि, उत्तर/जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र (अनुलग्नक पी-4) दिया गया। आरोप-पत्र का उत्तर/जवाब दिनांक 26.05.2009 को (अनुलग्नक पी-5) प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 12.06.2009 को संदर्भित अनुलग्नक पी-6 के माध्यम से एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिन्होंने अपनी जांच प्रतिवेदन (अनुलग्नक पी-7) प्रस्तुत की। दिनांक 20.11.2009 को अनुलग्नक पी-8 के माध्यम से याचिकाकर्ता पर एक वेतनवृद्धि रोके जाने का दंड, संचयी प्रभाव सहित, अधिरोपित किया गया। याचिकाकर्ता इस दंडादेश को अपील द्वारा चुनौती दे पाते, उससे पूर्व ही दिनांक 14.12.2009 को पत्र क्रमांक Kra./Mni/Sir./Vari.Steno/1313/09 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माध्यम से, पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 20.11.2009 को पारित दंडादेश को उत्तरवादी क्रमांक 2, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा यह कहते हुए अपास्त कर दिया गया कि अधिरोपित दंड अपर्याप्त प्रतीत होता है। उसी दिन अर्थात् 14.12.2009 को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा स्वयं याचिकाकर्ता को यह उल्लेख करते हुए कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिरोपित दंड अपर्याप्त प्रतीत होता है, कारण बताओ सूचना-पत्र (अनुलग्नक पी-10) जारी किया गया, अतः याचिकाकर्ता 5 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करें कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इस कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर/जवाब याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.12.2009 को (अनुलग्नक पी-11) प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात याचिका में चुनौती दिया गया आलोच्य आदेश पारित किया गया।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह प्रस्तुत तर्क है कि आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-1) ऐसा प्रतीत होता है मानो वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित किया गया हो, जबकि वास्तव में उक्त आदेश उत्तरवादी क्रमांक 2 – पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षणीय अधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। वह यह तर्क प्रस्तुत करते है कि आलोच्य आदेश छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन की विनियम 270 के प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश को पूर्व में सुनवाई का अवसर दिए बिना पलट नहीं सकते थे। उनका यह भी तर्क है कि दिनांक 14.12.2009 को ही पत्र क्रमांक Kra/Mni/Sir/Vari.Steno/1314/09 के माध्यम से याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। वह यह तर्क प्रस्तुत करते है कि दिनांक 14.12.2009 को दूसरा पत्र (अनुलग्नक पी-10) जारी किया गया, जो कि सिर्फ़ एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि इससे पूर्व ही पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरवादी क्रमांक 2) द्वारा पुलिस अधीक्षक के आदेश को अपास्त करने का निर्णय ले लिया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के प्रावधानों के विरुद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि आक्षेपित आदेश बिना उचित विचार के पारित किया गया है और यह एक स्पष्टीकरणयुक्त आदेश नहीं है। वह यह तर्क प्रस्तुत करते है कि आलोच्य आदेश छत्तीसगढ़ पुलिस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विनियमन की विनियम 263 के अनुसार अपील प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित परिसीमा काल/अवधि की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना ही पारित कर दिया गया। वह यह तर्क प्रस्तुत करते है कि 20.11.2009 को पुलिस अधीक्षक द्वारा दंडादेश पारित किया गया, याचिकाकर्ता ने 15.12.2009 को अपील दायर की, परंतु अपीलीय प्राधिकारी – पुलिस महानिरीक्षक – द्वारा अपील पर विचार किए जाने से पूर्व ही 14.12.2009 को पुलिस अधीक्षक के आदेश को यह कहते हुए अपास्त कर दिया गया कि वह अपर्याप्त है, और दंड को परिवर्धित किए जाने हेतु याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया गया। उनका तर्क है कि न केवल विधि के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, अपितु याचिकाकर्ता का अपील करने का अधिकार भी छीना गया है। उनका यह भी तर्क है कि छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के विनियम 213 के अनुसार, छत्तीसगढ़ वर्गीकरण (अपील एवं पुनरीक्षण) नियमों के प्रावधान भी लागू होते हैं, विशेषतः तब जब विभागीय जांच की प्रक्रिया संबंधी विधि के विषय में पुलिस विनियमन मौन है। साथ ही, छत्तीसगढ़ वर्गीकरण (अपील एवं पुनरीक्षण) नियमों की धारा 29(2) के प्रावधानों के अनुसार, अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि की समाप्ति या किसी अपील के दाखिल किए जाने की स्थिति में, अपील के निपटारे से पूर्व पुनर्विलोकन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादीगण के अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, चूँकि पुलिस महानिरीक्षक ने याचिकाकर्ता पर अधिरोपित दंड को अपर्याप्त पाया, इसलिए उन्होंने उस दंड को परिवर्धित करने में पूर्णतः उचित कार्य किया है। उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान प्रकरण ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता को आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई हो। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 14.12.2009 को याचिकाकर्ता को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था, जिसका उत्तर/जवाब याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया, अतः अब यह कहना कि इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, तथ्यों के विपरीत है। हालांकि, उन्होंने ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि दिनांक 14.12.2009 को ही पत्र क्रमांक

Kra/Mni/Sir/Vari.Steno/1313/09 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 20.11.2009 को पारित दंडादेश को अपास्त कर दिया गया था।

5. यहाँ प्रस्तुत पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकरण के न्यायनिर्णयन हेतु निम्नलिखित विधिक प्रश्न विचारणीय हैं:

(i) क्या छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन की विनियम 270 की उपविनियम (1) के अधीन स्वप्रेरित पुनरीक्षणीय शक्ति का प्रयोग, अभियुक्त याचिकाकर्ता द्वारा विनियमन 263 के अधीन दायर की गई वैधानिक अपील की लंबितता की अवस्था में या अपील दायर करने की निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है, अथवा यह शक्ति कभी भी प्रयोग की जा सकती है?

(ii) क्या कोई हितधारक, पुनरीक्षणीय प्राधिकारी द्वारा किसी आदेश को परिवर्तित या अपास्त किये जाने से पूर्व, विनियम 270 के उपविनियम (4) के अंतर्गत जैसा कि प्रावधान में निहित है, सुनवाई के अवसर का विधिसम्मत अधिकार रखता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने से पूर्व, छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन (जिसे आगे "विनियमन" कहा गया है) की विनियम 213 का उल्लेख करना लाभकारी होगा, जो दंड एवं अपील से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1955 तथा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के लागू होने की सुसंगतता से संबंधित है। उक्त विनियम इस प्रकार है:

> "213 – अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1955 तथा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों में निहित नियम, क्रमशः भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को दंड देने तथा उनके द्वारा दायर की गई अपीलों के निपटारे को विनियमित करेंगे।"

विनियम 263, दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपील दायर करने की परिसीमा अवधि से संबंधित है। वहीं, विनियम 270 उच्चतर प्राधिकारी को, अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने अथवा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत उसे परिवर्तित या अपास्त करने का अधिकार प्रदान करता है। विनियम 270 इस प्रकार है:

"270:- (1) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक दंड या दोषमुक्ति का आदेश, चाहे वह मूल आदेश हो या अपीलीय आदेश, ऐसे प्राधिकारी से उच्चतर किसी भी प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के अधीन होगा।

(2) अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक अपीलीय आदेश, ऐसे अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा, ऐसे व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया हो, पुनरीक्षण के अधीन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्याख्या: इस उपविनियम के प्रयोजनार्थ, "अंतिम अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य उस अंतिम प्राधिकारी से है जिसे पुलिस विनियमन के विनियम 262 के अधीन अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।

(3) पुनरीक्षण हेतु दायर आवेदन पर विनियम 266, 267, 268 एवं 271 के प्रावधान, यथासंभव, लागू होंगे।

(4) पुनरीक्षण प्राधिकारी, अभिलेख पर लिखित रूप से कारण अंकित करते हुए, अधिरोपित दंड से दोषमुक्त कर सकता है या अधिरोपित दंड को क्षमित कर सकता है, अधिरोपित दंड को परिवर्तित या उसमें वृद्धि कर सकता है, अथवा नए सिरे से जांच अथवा मामले में अतिरिक्त साक्ष्य संकलन का आदेश दे सकता है:

बशर्ते, कोई आदेश बदला या पलटा नहीं जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षों को सूचना पत्र निर्गत कर सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो।"

7. यहाँ यह उल्लेख करना सुसंगत है कि छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन में पुनर्विचार का कोई प्रावधान नहीं है, और ना ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में "नियम") में पुनरीक्षण का कोई प्रावधान है। नियम 29 के उपनियम (2) पुनर्विचार प्राधिकारी पर एक निषेधात्मक प्रतिबंध लगाता है, जो इस प्रकार है:

> नियम 29 के उपनियम (2) पुनर्विचार प्राधिकारी पर एक निषेधात्मक प्रतिबंध लगाता है, जो इस प्रकार है:
>
> "नियम 29(2): पुनर्विचार की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि– (i) अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त न हो जाए, या
>
> (ii) यदि कोई अपील दायर की गई हो, तो उसका निपटारा न हो जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान प्रकरण में विनियम 270 की व्याख्या और निर्माण, याचिका के निपटारे हेतु आवश्यक है। विनियमन 270 के उपविनियम (1) से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उच्च प्राधिकारी को स्वप्रेरित पुनरीक्षण का जो शक्ति प्रदान की गई है, उसके प्रयोग के लिए कोई समय-सीमा या परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसी प्रकार, विनियमन 270(2) के अनुसार भी, अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण हेतु आवेदन करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इब्राहिमपटनम तालुक व्यवसाय कुली संघम विरुद्ध के. सुरेश रेड्डी व अन्य, के मामले में जो 2003 वॉल्यूम VII एससीसी 667 में प्रकाशित हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

> "10. इस न्यायालय ने हाल ही के निर्णय डी साईबाबा विरुद्ध बार कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया में, न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन से उद्धृत अंशों का संदर्भ लेते हुए यह अवलोकन किया है कि: (एससीसी पृष्ठ 193 पैरा 18)

'18. यदि धारा 48-अअ को शब्दशः पढ़कर उसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण किया जाए, तो यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा जो निरर्थक, अव्यवहारिक एवं संसद की मंशा के विरुद्ध होगी। यदि किसी विधिक प्रावधान में अस्पष्टता हो, तो उसे ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जिससे उसे व्यावहारिक जीवन मिले तथा उस प्रावधान के अंतर्गत दी गई समीक्षा की शक्ति का प्रभावी एवं सार्थक उपयोग किया जा सके।'

11. प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन (8वाँ संस्करण, 2001) में लेखक ने कथन किया है कि:

यह कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है कि "साधारण अर्थ का नियम" स्वयं साधारण नहीं है और उसे कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यह नियम कि "स्पष्ट शब्दों की किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती," इस आधार से प्रारंभ होता है कि शब्द स्वयं स्पष्ट हैं — जो कि वास्तव में उन शब्दों की व्याख्या करने के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष होता है। यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि कोई शब्द स्पष्ट हैं या संदिग्ध (अस्पष्ट), जब तक उन्हें उनके सुसंगतता में अध्ययन करके व्याख्यायित न किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेखक ने पुनः निम्नलिखित रूप में कथन किया है:

'विभिन्न व्याख्याओं में से किसी एक का चयन करते समय, न्यायालय उस व्याख्या को अपनाएगा जो न्यायसंगत, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हो, न कि वह जो इन तीनों में से कोई भी गुण नहीं रखती; क्योंकि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायिका ने ऐसे अर्थ में शब्दों का प्रयोग किया होगा जो न्याय की हमारी भावना को सबसे कम आघात पहुँचाए।'

12. माननीय एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख और उन पर अवलंब लिया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अधिनियम की धारा 50- ब की उपधारा (4) में

प्रयुक्त शब्द "किसी भी समय" को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। इस आलोच्य आदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ, एकलपीठ के निर्णय को अनुमोदन एवं पुष्टि प्रदान करती है। जहाँ किसी संविधि में बिना किसी परिसीमा काल का प्रावधान किए स्वप्रेरित पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की जाती है, वहाँ यह शक्ति एक युक्तियुक्त/तर्कसंगत समयावधि के भीतर ही प्रयोग की जानी चाहिए और यह कि "युक्तियुक्त/तर्कसंगत समयावधि" क्या होगी — यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।"

8. विनियम 270 के उपविनियम (1) के अधीन स्वप्रेरित पुनरीक्षण अधिकार के प्रयोग के संदर्भ में, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अपचारी कर्मचारी द्वारा अपील दायर करने हेतु विनियम 263 में निर्धारित परिसीमा काल के समाप्त होने से पहले स्वप्रेरित पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था; अन्यथा अपील की विधिक उपचारात्मक व्यवस्था का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। यदि अपील दायर करने की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पुनरीक्षण कर लिया जाता है, तो यह अपचारी कर्मचारी को विधि द्वारा प्रदत्त अपील के वैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा। यहाँ तक कि विनियम 270 के उपविनियम (2) भी, अपीलीय आदेश के विरुद्ध किसी पीड़ित व्यक्ति या अंतिम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किसी परिसीमा काल का प्रावधान नहीं करता है। इस प्रकरण में, उच्च अधिकारी — उत्तरवादी क्रमांक 2 — ने, उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आदेश को, अपील दायर करने की परिसीमा काल समाप्त होने से पहले और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना, अपास्त कर दिया है। विनियम 270 के उपविनियम (1) का प्रावधान अस्पष्ट है, अतः पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरित पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है। उत्तरवादीगण ने अपने प्रत्युत्तर में कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं दर्शाया कि राज्य या जनहित में कोई अनिवार्य आवश्यकता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

या तात्कालिकता थी, जिसके कारण उत्तरवादी क्रमांक 2 ने इतनी शीघ्रता में स्वप्रेरित पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग किया। विभाग अथवा पीड़ित पक्ष को अपील और पुनरीक्षण की विधिक व्यवस्था प्रदत्त है, जिसका प्रयोग उत्तरवादीगण ने नहीं किया। यह ध्यान देने योग्य है कि किसी विधिक शक्ति का अस्तित्व और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है।

चूंकि विनियमन में पुनरीक्षण अधिकार के प्रयोग के लिए कोई विधिक परिसीमा काल निर्दिष्ट नहीं की गई है, अतः नियम 29(2) के प्रावधान का सहारा विनियम 270(1) की व्याख्या हेतु लिया जा सकता है। इस न्यायालय ने पूर्व में दिए गए निर्णयों जैसे कि सोनिराम ध्रुव विरुद्ध म.प्र. राज्य [डब्लू.पी.(एस) 1367/2007, निर्णय दिनांक 5.2.2010, पैरा क्र. 10] एवं जे.के.एस. राणा विरुद्ध छ.ग. राज्य [डब्लू.पी. 4758/2005, निर्णय दिनांक 3.5.2010] के सन्दर्भ में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"विनियम 213, छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन के अधीन यह प्रावधान करती है कि दंड तथा अपील से संबंधित मामलों में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन निहित उपबंध पुलिस अधिकारियों पर लागू होंगे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कृष्ण नारायण शिवप्यारे दीक्षित विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य, 1985 एम.पी.एल.जे. 343 के प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि विनियम 213, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अनुप्रयोग को निष्कासित नहीं करता है। चूंकि पुलिस विनियमन में यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया था कि दंडादेश के विरुद्ध अपील का निपटारा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार किया जाएगा, अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निहित वे प्रावधान, जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकार के प्रयोग की विधि और प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, लागू होंगे।

अतः नियम 29(2) के प्रावधान का संदर्भ इस उद्देश्य से लिया जा सकता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के प्रयोग की प्रक्रिया और समयसीमा की व्याख्या की जा सके। विनियम 263 में यह प्रावधान है कि राज्य शासन के समक्ष अपील दायर करने के लिए दो माह का समय और अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया है। नियम 29(2) यह सीमा निर्धारित करता है कि पुनर्विचार का अधिकार अपील दायर करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले या यदि अपील दायर की गई हो तो उसके निस्तारण के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है। विनियम 270 के उपबंध (1) की विधि तथा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग हेतु युक्तिसंगत समय की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग अपील दायर करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात तथा जब अपील दायर की गई हो तो उसके निस्तारण के बाद ही किया जाना उचित होगा – जब तक कि प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई असाधारण परिस्थिति प्रदर्शित न की जाए, जिसके कारण विभाग के पास अपील का उपाय होते हुए भी स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में उन असाधारण परिस्थितियों को सिद्ध करने का भार संबंधित प्राधिकारी पर होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधिक प्रश्न क्रमांक 2 के संदर्भ में: विनियम 270 का उपविनियम 4, जो इसके साथ संलग्न परंतुक द्वारा संचालित है, जो यह प्रावधान करता है कि — "कोई आदेश तब तक बदला या पलटा नहीं जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षों को सूचना न दी गई हो और उन्हें सुने जाने का अवसर न प्रदान किया गया हो।" यह उल्लेख करना सुसंगत है कि विधायिका ने उक्त परंतुक में “शैल (shall)” शब्द का प्रयोग किया है, जो सामान्यतः यह इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अनिवार्य प्रकृति की है तथा उक्त परंतुक में यह भी प्रावधान है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी आदेश में परिवर्तन करने से पूर्व संबंधित पक्षों को सूचना देना और सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है एवं यही सिद्धांत उस स्थिति में भी समान रूप से लागू होगा जब कोई प्राधिकारी स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करता है। जी.पी. सिंह द्वारा लिखित

पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन (10वाँ संस्करण, 2006) के पृष्ठ 378 पर लेखक ने कथन किया है कि— "'शैल(shall)' शब्द के प्रयोग" से यह अनुमान उत्पन्न होता है कि संबंधित उपबंध अनिवार्य है; तथापि यह प्रथम दृष्टया निष्कर्ष, अन्य कारकों — जैसे कि अधिनियम का उद्देश्य, उसका क्षेत्र तथा ऐसी व्याख्या से उत्पन्न परिणाम — के आधार पर खंडित किया जा सकता है।"

यहां विधायिका ने परंतुक में "शैल(shall)" शब्द का प्रयोग किया है, जो अनिवार्य है, न कि केवल निर्देशात्मक – विशेष रूप से विभागीय कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए। इसका कारण यह है कि यदि किसी अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आदेश किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा उसके पीठ पीछे अर्थात उसकी अनुपस्थिति में, उसकी सुनवाई के बिना पारित किया जाता है, तो उसे अपूरणीय क्षति होगी, क्योंकि ऐसा करने से उसके सुनवाई के मूलभूत अधिकार– जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 में निहित है – का उल्लंघन होगा। सुनवाई का अधिकार विधि के शासन का अविभाज्य अंग है और यह अनुच्छेद 14 से उद्भूत होता है। अनुच्छेद 21 यह अभिधारणा करता है कि कोई भी आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाए। आदेश पारित करने की प्रक्रिया में दो आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं – (1) सूचना देना, और (2) सुनवाई का अवसर प्रदान करना, जैसा कि विनियम 270 की उपविनियम (4) में निहित है तथा इस प्रकार, उपर्युक्त विनियम के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं युक्तिसंगत प्रक्रिया से किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अपने मनमाने ढंग या व्यक्तिगत इच्छानुसार विचलित नहीं हुआ जा सकता, विशेषकर जब मामला ऐसे दंड का हो जिसमें नागरिक महत्त्व के परिणाम निहित हों। यदि उक्त प्रावधान को केवल निर्देशात्मक माना जाए, तो विनियम 270 की उपविनियम (4) का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि तब प्राधिकारी किसी अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध उसके पीठ पीछे उसकी अनुपस्थिति में कोई आदेश पारित कर सकेगा और बाद में मात्र औपचारिकता पूरा करने के लिए उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। अनुलग्नक पी/10, सूचना-पत्र क्रमांक 1314/2009, जो उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी की गई थी, से यह स्पष्ट होता है कि वह केवल जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना थी, जिसमें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। यद्यपि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है, जो 1991 एम.पी.एल.एस.आर. 396 (कोमल सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य) में प्रकाशित हुआ था, तथापि उस निर्णय का इस प्रकरण के निर्णय हेतु न तो कोई प्रेरक मूल्य है और न ही वह कोई प्रामाणिक उदाहरण है। फिर भी, उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा विनियमन के विनियम 270(4) की जो व्याख्या की गई है, वह तार्किक प्रतीत होती है, क्योंकि जैसा कि अवधारित किया गया —"अतः कारण बताओ सूचना अपर्याप्त थी और यह विनियमन के विनियम 270(4) के परंतुक के अनिवार्य प्रावधानों का विश्वसनीय अनुपालन नहीं था।" वर्तमान प्रकरण में भी, आलोच्य आदेश अनुलग्नक पी/1 दिनांक 11.01.2010 से यह परिलक्षित होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने आदेश क्रमांक 1313/2009 दिनांक 14.12.2009 के माध्यम से, उत्तरवादी क्रमांक 3 से प्रतिवेदन एवं अभिलेख मंगाकर याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में बिना उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए, याचिकाकर्ता पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंडादेश दिनांक 20.11.2009 को अपास्त कर दिया था, इसके पश्चात ही कारण बताओ सूचना जारी की गई। यह कारण बताओ सूचना (अनुलग्नक पी/10) उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ता पर अधिरोपित दंड को परिवर्धित करने के लिये जारी की गई थी। स्पष्टतः, यह कार्यवाही विनियम 270 के उपविनियम 4 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्कर्ष:

उपरोक्त सभी चर्चाओं के आधार पर, इस न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं:

A. छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमन की विनियम 270 के उपविनियम (1) के अंतर्गत स्वप्रेरित पुनरीक्षण की जो शक्ति उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा, दिनांक 20.11.2009 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रयोग की गई, वह याचिकाकर्ता द्वारा विनियमन के खण्ड 263 के अधीन दायर वैधानिक अपील के विचाराधीन होने अथवा उसके निपटारे से पूर्व प्रयोग की गई थी, जो विधिक रूप से विधि की कसौटी पर टिक नहीं सकता है। पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग कर याचिकाकर्ता को अधिरोपित दंड को परिवर्धित करने का निर्णय लेने से पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा दंडादेश के विरुद्ध दायर की गई वैधानिक अपील के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

B. वर्तमान प्रकरण में, ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ प्रदर्शित या प्रमाणित नहीं की गईं हैं, जिनके आधार पर विनियमन के खण्ड 270(1) के अधीन अपील की वैधानिक परिसीमा काल समाप्त होने से पूर्व या अपचारी याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील के लंबित रहते हुए स्वप्रेरित पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग किया जाना आवश्यक था।

C. उत्तरवादी क्रमांक 2 / पुनरीक्षण प्राधिकारी, विनियमन के खण्ड 270(1) के अधीन स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करते समय, दिनांक 20.11.2009 के आदेश को अपास्त करने से पूर्व पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता को कोई युक्तिसंगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए बिना ऐसी सुनवाई के ही दिनांक 20.11.2009 के आदेश को अपास्त करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2010 पारित कर, विनियम 270 के खण्ड (4) में निहित संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में असफल रहे हैं।

9. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संपूर्ण अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने पहले ही याचिकाकर्ता पर उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा लगाए गए एक वेतन वृद्धि रोकने के दंड को परिवर्धित करने का विचार/अभिमत बना लिया था। अभिलेख से पता चलता है कि उत्तरवादी क्रमांक 3, पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित दंडादेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने 15.12.2009 को उत्तरवादी क्रमांक 2, पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील की थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस आदेश की अपील की गई थी, को उत्तरवादी क्रमांक 2 ने 14.12.2009 को ही अपास्त कर दिया था, अर्थात् अपील प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले, और उसी दिन उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अनुलग्नक पी-10 के माध्यम से याचिकाकर्ता को यह सूचना जारी की कि उसे बताना है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। अंततः 11.1.2010 के आलोच्य आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बिना किसी पूर्व सुनवाई के अवसर दिए उप निरीक्षक के पद से सहायक उप निरीक्षक के पद पर एक वर्ष के लिए पदावनत कर दिया गया। 14.12.2009 को जारी सूचना (अनुलग्नक पी-10) उसी दिन जारी किया गया जब पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश को उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपास्त किया था, जो कि मामले में मौजूद कमियों को छुपाने के लिए बाद में दी गई सुनवाई मात्र प्रतीत होती है। ऐसे पश्चात निर्णयात्मक सुनवाई, जो दंड परिवर्धित करने के पूर्व नियोजित कृत्य को छुपाने के लिए की गई हो, न्यायिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो सकती।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. (i) परिणामस्वरूप, आलोच्य आदेश विधिक समीक्षा में टिक नहीं पाता। दिनांक 10.01.2010 का आलोच्य आदेश (अनुलग्नक पी/1), जिसके माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक – उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ता को उप निरीक्षक के पद से सहायक उप निरीक्षक पद पर एक वर्ष के लिए पदावनत करने का दंड दिया गया है, को अपास्त किया जाता है। यह अवधारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को सभी परिणामी सेवा लाभ प्राप्त होंगे।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने दिनांक 20.11.2009 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं वैधानिकता पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है, क्योंकि दिनांक 20.11.2009 के उक्त आदेश की गुण-दोष के आधार पर यथार्थता (सही या गलत होने) की जांच कर निर्णय लेना अपीलीय प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र है।

(iii) इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक, रायपुर, छत्तीसगढ़ को भेजी जाए।

सही/-
प्रीतिंकर दिवाकर
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar